

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-03 (मत्स्य)

देहरादून: दिनांक 23 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत संचालित लेखाशीर्षक, 2405-मछली पालन, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान योजना में बजट अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-128/बजट मांग/2019-20, दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के क्रम में तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व मद में अनुदान संख्या 28 के अन्तर्गत संचालित लेखाशीर्षक, 2405-मछली पालन, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधिष्ठान योजना के मानक मदों में कुल प्राविधानित धनराशि रू० 110451.00 हजार के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित मदों में स्तम्भ-4 के अनुसार कुल धनराशि रू० 11,04,51.00^{रु०} (रू० ग्यारह करोड़ चार लाख इकावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० हजार में)

क्र० सं०	योजना का संक्षिप्त लेखाशीर्षक (मानक मद संख्या एवं मद का नाम)	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बजट प्राविधान	प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	01-वेतन	80903	80903
2.	02-मजदूरी	600	600
3.	03-मंहगाई भत्ता	12135	12135
4.	04-यात्रा भत्ता	600	600
5.	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	300	300
6.	06-अन्य भत्ते	7281	7281
7.	07-मानदेय	55	55
8.	08-कार्यालय व्यय	600	600
9.	09-विद्युत देय	420	420
10.	10-जलकर/जलप्रभार	48	48
11.	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	300	300
12.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
13.	13-टेलीफोन पर व्यय	360	360
14.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1440	1440
15.	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3500	3500
16.	17-किराया, उपशुलक और कर-स्वामित्व	180	180
17.	18-प्रकाशन	72	72

Table continue.....

18.	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	72	72
19.	22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	48	48
20.	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	240	240
21.	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	180	180
22.	29-अनुरक्षण	125	125
23.	42-अन्य व्यय	48	48
24.	44-प्रशिक्षण व्यय	96	96
25.	45-अवकाश यात्रा व्यय	48	48
26.	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	200	200
27.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	300	300
	योग	110451	110451

- (1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
- (2) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०-08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (5) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (6) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (7) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (8) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।


भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 286(1)/XV-3/2019-08(05)/2016 (बजट), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
5. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डरीर)
उप सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

**Secretary-Secretary,
Fisheries(S014)**

HOD-Director Fisheries(4362)

आवंटन पत्र संख्या -08(05)/2016

आवंटन आई डी-S19040280001

अनुदान संख्या-028

आवंटन पत्र दिनांक-23-APR-2019

लेखा शीर्षक

2405-मछली पालन

00--

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-अधिष्ठान

00-अधिष्ठान


Voted

2	4	0	5	0	0	0	0	1	0	3	0	0
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग								
01-वेतन	0	80903000	0	80903000								
02-मजदूरी	0	600000	0	600000								
03-महंगाई भत्ता	0	12135000	0	12135000								
04-यात्रा व्यय	0	600000	0	600000								
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	300000	0	300000								
06-अन्य भत्ते	0	7281000	0	7281000								
07-मानदेय	0	55000	0	55000								
08-कार्यालय व्यय	0	600000	0	600000								
09-विद्युत देय	0	420000	0	420000								
10-जलकर / जल प्रभार	0	48000	0	48000								
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0	300000	0	300000								
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	300000	0	300000								
13-टेलीफोन पर व्यय	0	360000	0	360000								
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0	1440000	0	1440000								
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	3500000	0	3500000								
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	0	180000	0	180000								
18-प्रकाशन	0	72000	0	72000								
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0	72000	0	72000								
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	0	48000	0	48000								
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0	240000	0	240000								
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	180000	0	180000								
29-अनुरक्षण	0	125000	0	125000								
42-अन्य व्यय	0	48000	0	48000								
44-प्रशिक्षण व्यय	0	96000	0	96000								
45-अवकाश यात्रा व्यय	0	48000	0	48000								
46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय	0	200000	0	200000								

47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0	300000	0	300000
योग	0	110451000	0	110451000

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.11,04,51,000.00
(Rupees Eleven Crores Four Lacs Fifty One Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


(सोमेश्वर पुन्डीर)
उप सचिव
पर्यावरण, वन्य जीव एवं प्राणिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन।